न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा
(म0प्र0)

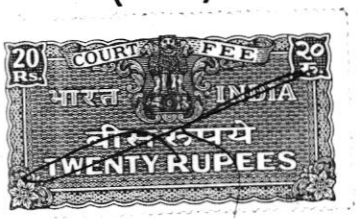

01. कुमारी ज्योति सिंह तनय श्री महेन्द्र सिंह
02. जितेन्द्र सिंह तनय श्री महेन्द्र सिंह
03. जनेन्द्र सिंह तनय श्री महेन्द्र सिंह

सभी निवासी बन्ना जवाहर सिंह तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

.....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. दीपेन्द्र सिंह तनय श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी बन्ना जवाहर सिंह तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन

..... गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा द्वारा प्रकरण क्र0 842/अपील/2012–2013 मे पारित आदेश दिनांक 12/03/2014

महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि ग्राम बन्ना जवाहर सिंह तहसील हनुमना जिला रीवा स्थित भूमि खसरा क्र0 467/5 क रकवा 9.30 ए के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी पुनरीक्षणकर्ता क्र0 1 कुमारी ज्योति सिंह, खसरा क्र0 467/6 रकवा 15.00 एकड के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी पुनरीक्षणकर्ता क्र0 3 जनेन्द्र सिंह तथा खसरा क्र0 467/7 रकवा 15.00 एकड के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी पुनरीक्षणकर्ता क्र0 2 जितेन्द्र सिंह है। उक्त भूमिया राजस्व रिकार्ड मे खसरे मे अलग अलग तीनो व्यक्तियो के नाम से पूर्व से दर्ज है, जिसमे किसी को कोई अपत्ति नही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1395–तीन/2014 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2014	आवेदक की ओर से श्री विष्णु प्रताप सिंह अभिभाषक ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र पेश किया जिसके द्वारा उन्होंने निगरानी आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 842/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12–3–14 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में संलग्न केवीयेट के परिशीलन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष उक्त अपील का पुनर्विलोकन प्र0कं0 22/पुनर्विलोकन/14–15 पेश हुआ, जिसका अंतिम निराकरण अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 10–11–2014 से किया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत करने के पश्चात रिवीजन लंबित रहने के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू पिटीशनदायर कर दी जो कि उसके पक्षमें निर्णीत हुई। इसलिए अब आवेदक इस निगरानीको चलाना नहीं चाहता। एक आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रचलित रहते, उसी आदेश के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर की जाना वैधानिक रूप से उचित नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	